भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1523
31.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

आंध्र प्रदेश में ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों हेतु पीएलआई योजना का कार्यान्वयन

1523 **श्री विजय चिंताकायला:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों हेतु पीएलआई योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है, और आंध्र प्रदेश में विनिर्माण इकाइयों वाली स्वीकृत मूल उपकरण निर्माता (ओईएम)/घटक कंपनियों की संख्या कितनी है;
(ख) मई, 2026 की स्थिति के अनुसार योजना के अंतर्गत निवेश, उत्पादन तथा सृजित रोजगार के राज्य-वार/आंध्र प्रदेश-विशिष्ट आँकड़ें क्या हैं;
(ग) क्या योजना ने आंध्र प्रदेश में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों/घटकों के स्थानीयकरण में सहायता की है;
(घ) आंध्र प्रदेश में ईवी/घटक विनिर्माण में प्रगति सहित क्षेत्र-वार प्राप्त प्रगति का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि हां, तो राज्य में पीएलआई-संबद्ध निवेश का विस्तार करने संबंधी किन्हीं प्रस्तावों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): भारत में ऑटोमोबिल एवं ऑटो घटक उद्योग के लिए उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के विनिर्माण में भारत की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा दिनांक 23.09.2021 को 25,938 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ पीएलआई-ऑटो स्कीम को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों में पीएलआई-ऑटो स्कीम के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:

मानदंड	दिनांक 31.03.2026 तक संचयी
निवेश (करोड़ रुपए में)	44,326
वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष 2019-20) (करोड़ रुपए में)	52,414
सृजित रोजगार (संख्या)	67,820
वितरित प्रोत्साहन राशि (करोड़ रुपए में)	2,386.36

पीएलआई-ऑटो स्कीम का कार्यान्वयन देशभर में किया जा रहा है तथा अनुमोदित आवेदक देश में कहीं भी विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने अथवा निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। दिनांक 28.07.2026 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश में अनुमोदित ओईएम आवेदकों द्वारा दो विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।

(ग) से (ङ): एएटी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण एवं स्थानीयकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पीएलआई-ऑटो स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) अनिवार्य किया गया है। दिनांक 28.07.2026 की स्थिति के अनुसार, देशभर (आंध्र प्रदेश सहित) में विनिर्मित 155 एएटी उत्पादों/उत्पाद प्रकारों के लिए 18 आवेदकों को डीवीए प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं।

****